न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
118/2022 (GCMS 2022/118)	09.05.2022	15.06.2022

उनवान

सरकार जरिये महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

श्री पूरनमल अहीर पुत्र कन्हैयालाल अहीर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्री कृष्णा रेस्टोरेन्ट, उदयपुर रोड़, ग्राम मंगलवाड़ चौराहा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी भण्डारी गली, मंगलवाड़ चौराहा, उदयपुर रोड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार गर्ग दिनांक 21.10.19 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहे थे। इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/ 2011/440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निदेशालय/एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 के द्वारा इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आंवटित किया गया है तथा सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला इनके कार्य क्षेत्र में आता है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.10.2019 को समय 3.00 पी.एम. पर मैसर्स कृष्णा रेस्टोरेन्ट, उदयपुर रोड़, ग्राम मंगलवाड़ चौराहा तहसील डूंगला पर पहुंचे। उक्त फर्म में श्री पूरनमल अहीर विक्रेता/मालिक की हैसियत से खाद्य पदार्थ मावा (खोया) व अन्य मिठाईयां आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता को खाद्य लईसेन्स प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया। मौके पर गवाहान श्री नानूराम लौहार एवं श्री महेन्द्र सिंह की उपस्थिति मे तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर एक बर्तन में 10 किलोग्राम मावा, मिठाई तैयार करने हेतु रखा हुआ पाया गया। मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएसएस एक्ट 2006 के तहत जांच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर V A की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) जो कि लगभग 10 किलो था में से 1 किलो मावा (खोया) एकरूप करने के पश्चात् वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 210/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके के गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किए जो मूल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा (खोया) एवं चार साफ सुखे खाली जार को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर, चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखे खाली प्लास्टिक जारों में अलग–अलग भरकर एवं प्रत्येक जार में फार्मेलीन/प्रिजरवेटिव की 20–20 बूंदे डालकर ढ़क्कन लगाकर अच्छी तरह एयर टाईट बन्द किया। उक्त नमूना भागों हेतु चार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान व विक्रेता ने हस्ताक्षर किए। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या ए एम–1103 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर उपर सिरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोंद से चिपकाकर एवं धागे से बांधकर नियमानुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर, एक पेंदे पर एवं दाईं व बाईं ओर लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर चारों नमूनों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमूने के एक भाग (चौथा भाग) को नोटिफाईड एक्रीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता/मालिक व गवाहान ने भी पढ़कर, सुनकर व समझकर सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील किया गया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर में जमा करवाने हेतु भिजवाया गया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सीलबन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र कमांक एफएसएसए/2019/4340 दिनांक 04.12.2019 द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना (Substandard) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंधित समस्त दस्तावेज अभिहीत अधिकारी को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्रांक/एफएसएसए/2022/1642 दिनांक 25.04.22 से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्त ने (Substandard) सबस्टैण्डर्ड मावा (खोया) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय को रोका जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 2 सुनील कुमार गर्ग, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी हाल कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 डॉ. रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 4 नानूराम लुहार पुत्र देवीलाल लुहार निवासी रामनगर ग्राम जाटसादडी तहसील डूंगला (मौका गवाह) गवाह संख्या 5 महेन्द्र सिंह पुत्र भगवत सिंह च. श्रे. क. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ (मौका गवाह) पेश किये तथा अपने परिवाद के समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 08.06.2022 को अप्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब परिवाद पेश नहीं करके मौखिक रूप से परिवाद को स्वीकार करके निवेदन किया कि अप्रार्थी के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये हैं यह प्रथम जांच है जिसमें अप्रार्थी का खाद्य पदार्थ सब स्टैन्डर्ड पाया गया है अप्रार्थी की आजीविका का एक मात्र साधन उक्त व्यवसाय ही है एवं अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा प्रथम दोष है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाकर आज ही प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 21.10.2019 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 21.10.2019 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा (खोया) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1103** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 58 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 9 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक मनोहरलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1103** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 9 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 8 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक मनोहरलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 22.10.2019 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(**ii**) एवं 2.4.1(10)(**iii**) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 10 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 12 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2019/4340 दिनांक 04.12.2019 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 555/ACT/2019/572 Dated 31-10-2019** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 555/ACT/ 2019/572 Dated 31-10-2019** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनील कुमार गर्ग द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 58 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुआ, उक्त नमूना दिनांक 23.10.2019 से 31.10.2019 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **The sample of Khoya** (मावा) **bearing code no. and serial no. AM-1103 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O., of District Chittorgarh is sub-standard as milk Fat (dry matter basis) Minimum (m/m) % does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard uner section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006.** उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1103** मावा (खोया) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zx)** के तहत अवमानक (Sub-standard) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2019/4340 दिनांक 04.12.2019 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार गर्ग द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ के नमूने के संबंध में न्यायालय में परिवाद संस्थित करने की 1 वर्ष की कालावधि समाप्त हो जाने से अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा बढ़ाने हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को जरिये पत्रांक 5474 दिनांक 14.12.2021 से लिखा गया जिस पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर द्वारा अपने पत्रांक/एफएसएसए/स.सी./2022/224 दिनांक 22.03.2022 से जनहित में परिवाद संस्थित करने की समय सीमा दिनांक 28.04.2022 तक विस्तारित करने की अनुमति प्रदान करने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जरिये पत्रांक 1642 दिनांक 25.04.2022 से दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 15 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को मौखिक रूप से स्वीकार किया है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थी द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थी को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी/अप्रार्थी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी श्री पूरनमल अहीर पुत्र कन्हैयालाल अहीर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्री कृष्णा रेस्टोरेन्ट, उदयपुर रोड़, ग्राम मंगलवाड़ चौराहा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) निवासी भण्डारी गली, मंगलवाड़ चौराहा, उदयपुर रोड़, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अतः अधिनियम की धारा 49 एवं 51 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री पूरनमल अहीर पुत्र कन्हैयालाल अहीर (विक्रेता/मालिक) मैसर्स श्री कृष्णा रेस्टोरेन्ट, उदयपुर रोड़, ग्राम मंगलवाड़ चौराहा, तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को राशि रूपये 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 22006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़